अनुसूची 14–फारम सं० –562।

आदेश–पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक–1941 का नियम 129)

आदेश–पत्रक – ....ता०..से..तक

जिला– लखीसराय, वाद संख्या :– 51/2015–16 सन् 2015

केश का प्रकार :– समपहरण वाद राज्य बनाम अज्ञात

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
11.05.2016	अनुमंडल पदाधिकारी, लखीसराय का पत्रांक–645/आ0, दिनांक–03.11.2015 द्वारा कवैया थाना कांड सं0–629/15 दिनांक–19.09.2015 के अंतर्गत जप्त किरासन को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा–6A के तहत समपहरण करने संबधी प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। श्री अरूण कुमार, पणन पदाधिकारी, नगर परिषद्–सह–अंचल अधिकारी, लखीसराय के पत्रांक–890, दिनांक–18.09.15 में उल्लेख है कि दिनांक–18.09.2015 को क्षेत्र भ्रमण के दौरान मोटर चलित तीन पहिया वाहन पर 600 (छः सौ) लीटर ब्लू डाईड किरासन तेल का अवैध ढुलाई करते जप्त किया गया। चालक द्वारा तेल को उतारकर ठेला सहित भाग गया तथा जप्त किरासन तेल का कोई दावेदार मौका पर उपस्थित नहीं होना भी प्रमाणित करता है कि अनुदानित दर पर वितरण होने वाले ब्लू डाईड किरासन तेल का अवैध ढुलाई किया जा रहा था। दो स्वतंत्र गवाहों के समक्ष जप्ती सूची तैयार किया, जप्त किरासन तेल स्थानीय चलन्त किरासन तेल ठेला भेण्डर, राजकुमार सिंधानिया को जिम्मेनामा पर दे दिया गया। स्पष्ट है कि ब्लू डाईड किरासन तेल का अवैध रूप से भंडारण एवं क्रय–बिक्रय का कार्य किया जा रहा था, जो अवैध है। उपर्यक्त तथ्य जो संलग्न प्राथमिकी के आधार पर जप्ती सूची तथा अनुमंडल पदाधिकारी, लखीसराय की अनुशंसा पर सामने आये हैं, यह स्पष्ट है कि अज्ञात द्वारा The Prevention of Black Marketing Maintainance of Supply Essential Commodity Act. 1980 एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा–7 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध किया जाना प्रमाणित है। चूँकि जप्त किरासन नाशवान वस्तु की श्रेणी मे आता है, अतः अनुमंडल पदाधिकारी, लखीसराय को EC Act. 1955 amended Bihar Act. 9 of 1978 के 6(A)(2) के तहत आदेश दिया जाता है कि जप्त किरासन को नीलाम कर प्राप्त राशि उचित शीर्ष में जमा करते हुए प्रतिवेदन दें। 11/5/16 जिला दण्डाधिकारी, लखीसराय। ज्ञापांक– 512 विधि, दिनांक– 11-5-16 **प्रतिलिपि** :– अनुमंडल न्यायिक दण्डाधिकारी, लखीसराय/अनुमंडल पदाधिकारी, लखीसराय तथा थाना प्रभारी, कवैया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। **प्रतिलिपि** :– जिला सूचना एवं जन संपर्क पदाधिकारी, लखीसराय/जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, लखीसराय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। 11/5/16 जिला दण्डाधिकारी, लखीसराय।	

F-D/CCA/ 2014/LKr.